

मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
आदेशः

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019

क्रमांक एफ 1-3/2016/41-2 राज्य शासन द्वारा विभाग के समसूच्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2018 द्वारा जारी की गयी मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 के प्रावधानों के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :-

1. योजना की कंडिका 21(C) के अनुसार जो इकाइयाँ आईटी नीति 2014 के लाभ उठाने के लिये पात्र थीं परन्तु उनके द्वारा उक्त नीति का कोई भी लाभ नहीं लिया गया है, को मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 के अंतर्गत आवेदन करने के लिये दिनांक 25.09.2018 के 06 माह की अवधि (अर्थात् 24.03.2019) तक की पात्रता दी गई है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वाणिज्यिक उत्पादन / प्रशिक्षण / इवेंट में भाग लेने की तिथि से 03 माह से लेकर 15 माह की समयावधि निर्धारित है, जिसके कारण अनुदान सहायता हेतु पात्र सस्थाओं के आवेदनों का निराकरण करने में कठिनाई हो रही है।

अतः मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 के अंतर्गत अनुदान सहायता हेतु आवेदन करने के लिये योजना लागू करने की तिथि अर्थात् 25.09.2018 से आवेदन करने के लिये निम्नानुसार समयावधि निर्धारित की जाती है :-

कंडिका क्र.	अनुदान सहायता का प्रकार	वर्तमान समयावधि	संशोधित समयावधि
1	2	3	4
कंडिका 9	पूँजीगत अनुदान	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 15 माह तक की तिथि तक	24/03/2019 तक
कंडिका 10	व्याज अनुदान	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि तक	24/03/2019 तक
कंडिका 11	प्रोत्साहन अनुदान	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 15 माह तक की तिथि तक	24/03/2019 तक
कंडिका 12	कुशलता अंतराल प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति	प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से 03 माह की अवधि तक	24/03/2019 तक
कंडिका 16	एट्री टैक्स छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि तक	24/03/2019 तक
कंडिका 17	पेटेंट अनुदान	पेटेंट प्राप्त करने की तिथि से 06 माह की अवधि तक	24/03/2019 तक
कंडिका 18	विपणन सहायता	इवेंट में भाग लेने की तिथि से 03 माह की अवधि तक	24/03/2019 तक
कंडिका 20	बीपीओ के लिये विशेष सहायता	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि तक	24/03/2019 तक

2. जो इकाइयाँ मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 लागू होने में हुए विलम्ब के कारण निर्धारित समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी हैं, उन्हें आवेदन करने के लिये योजना लागू करने की तिथि 25.09.2018 से 06 माह की अवधि (अर्थात् 24.03.2019) तक की समयावधि तक छूट प्रदान की जाती है। अन्य प्रकरणों में आवेदन योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में प्राप्त होना अनिवार्य होगा।

निरन्तर

